न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या– 621/2022
वाद पत्र अंतर्गत धारा– 88,53 आर.टी.ए.

गिरधारीलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. संतोष चौधरी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री सुरजीत कुमार जाति जाट निवासी नई मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. कान्ता देवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी रोझड़ी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
4. बसन्ती देवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री मदनलाल जाति जाट निवासी श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुलोचना देवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री सुरजीत कुमार जाति जाट निवासी ताजा पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
6. दमला देवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ताजा पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
7. पंजाब नैशनल बैंक सादूलशहर जरिये शाखा प्रबन्धक, सादूलशहर तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
9. श्रवण कुमार पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा हाल कालूवाना तहसील डबवाली जिला सिरसा।

-- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित–
1. श्री भीम पारीक – वकील वादी
2. श्री महावीर बैरड़– वकील प्रतिवादीगण 1 ता 6
3. राज पैरोकार, तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादी संख्या 8

निर्णय दिनांक– 30.05.2024

वादी गिरधारीलाल ने यह वाद पत्र प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 के खिलाफ बाबत अधिकारों की घोषणा एवं खाता विभाजन का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद एवं वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से संगरिया तहसील के चक 12 पी.टी.पी. के खाता संख्या 127/64 जमाबंदी संवत 2072-2075 में 1.771 है. अर्थात 7 बीघा कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रमाणित जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि वादी के पिता को वादी ... से विरासतन प्राप्त है जिसमें हम वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या ... से ... का जन्म से हक निहित है। प्रतिवादी संख्या 1 अन्य दिगर लोगों ... में है इसलिये उक्त विरासतन आराजी को लेकर ... संख्या 1 से 6 के मध्य मनमुटाव पैदा हो ... ने पंचायत में वादी एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि का बंटवारा कर ... दिया। मुताबिक घरू विभाजन वादी को निम्न प्रकार से कृषि भूमि प्राप्त हुई–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku Meena
Date: 2024.05.31 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested

लगातार – 2

सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

तहसील संगरिया के चक 12 पी.टी.पी. के खाता संख्या 127/64 जमाबंदी संवत 2072-75 प.नं. 119/136 मु.नं. 46 कि.नं. 14/0.253 है.नहरी, 15/1/0.228 है.नहरी, 15/2/0.025 है.खाला, 16/1/0.228 है.नहरी, 16/2/0.025 है.खाला, 17,23,24/0.253 है. प्र.नहरी, 25/1/0.228 है.नहरी, 25/2/0.025 है.खाला। कुल 1.696 है.नहरी, 0.075 है. खाला कुल- 1.771 है. कृषि भूमि।

वादी उक्तानुसार ही कृषि भूमि पर काबिज है कब्जा काश्त बाबत परिवार के सदस्यों का व अन्य काश्तकार के साथ किसी प्रकार का विवाद नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 के पास संगरिया तहसील के चक 10 पीटीपी में कृषि भूमि है। प्रतिवादीया संख्या 2 से 6 वादी की सगी बहिने है जो सभी शादीशुदा है तथा अपने अपने ससुराल में सुखपूर्वक रह रही है जिन्होने अपने विरासतन प्राप्त होने वाले हिस्सा की समस्त कृषि भूमि का परित्याग वादी पक्ष में कर दिया है। उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के कब्जा में होने के बावजूद राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज होने के कारण वादी को बैंक लोन एवं सिंचाई सुविधाओं एवं सरकारी सहायता प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसलिये वादी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है जिसका व अधिकारी एवं दावेदार है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार से रिपोर्ट आने के बाद वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के साथ अपना राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 6 ने जवाब दावा मय ईकबालदावा प्रस्तुत किया जिसमें उन्होनें वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष का विरोध नहीं किया गया। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10[2] सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रतिवादी संख्या 9 को पक्षकार बनाया जाकर जरिये रजिस्टर्ड डाक से तलबी करवाई। प्रतिवादी संख्या 7 पंजाब नैशनल बैंक एवं प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा निश्चित दिनांक को न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 राज पैरोकार की तरफ से स्टेट जवाब पेश हुआ जिसमें राज्य हित को ध्यान में रखते हुए वाद पत्र का निस्तारण करने का निवेदन किया गया जो शामिल मिसल किया गया। तहसील संगरिया के राजस्व चक 12 पीटीपी के खाता संख्या 127/64 जमाबंदी संवत 2072-2075 जमाबंदी पेश है जो प्रदर्श 1 है। वाद पत्र के समर्थन में वादी द्वारा शपथ पत्र अंतर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी के अभिभाषक ने व[illegible] वर्णनानुसार, वाद पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया जिस[illegible] प्रतिवादीगण के अभिभाषक ने विरोध नहीं किया। वाद पत्र में [illegible] तथ्यों बाबत किसी प्रकार का विरोध सामने नहीं आया है [illegible] लिये तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं है एवं [illegible] किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh K
Meena
Date: 2024.05.31 12:38:54 IS
Reason: SelfAttested

लगातार - 3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कियात्मक आदेश

अतः वाद पत्र डिकी किया जाता है कि- वादी गिरधारीलाल तहसील संगरिया के चक 12 पी.टी.पी. के खाता संख्या 127/64 जमाबंदी संवत 2072-75 प.नं. 119/136 मु.नं. 46 कि.नं. 14/0.253 है.नहरी, 15/1/0.228 है.नहरी, 15/2/0.025 है.खाला, 16/1/0.228 है.नहरी, 16/2/0.025 है.खाला, 17,23,24/0.253 है. प्र.नहरी, 25/1/0.228 है.नहरी, 25/2/0.025 है.खाला कुल 1.696 है. नहरी, 0.075 है. खाला कुल- 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है। इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रेहन होने की स्थिति में बैंक रेहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिकी जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगें। पत्रावती बाद तरतीब तकमीत नंबर से कम किया जाकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखंड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.05.31 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अं.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रकिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या- 621/2022

वाद पत्र अंतर्गत धारा- 88,53 आर.टी.ए.

गिरधारीलाल पुत्र श्री सुरजाराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. सुरजाराम पुत्र श्री श्योकरण जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. संतोष चौधरी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री सुरजीत कुमार जाति जाट निवासी नई मंडी घड़साना तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
3. कान्ता देवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी रोझड़ी तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर।
4. बसन्ती देवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री मदनलाल जाति जाट निवासी श्रीगंगानगर तहसील श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर।
5. सुलोचना देवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री सुरजीत कुमार जाति जाट निवासी ताजा पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
6. दमला देवी पुत्री श्री सुरजाराम पत्नी श्री महेन्द्र कुमार जाति जाट निवासी ताजा पट्टी तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब।
7. पंजाब नैशनल बैंक सादूलशहर जरिये शाखा प्रबन्धक, सादूलशहर तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
9. श्रवण कुमार पुत्र श्री हेतराम जाति जाट निवासी किशनपुरा उतरादा हाल कालूवाना तहसील डबवाली जिला सिरसा।

-- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,53 आर.टी.ए.

दिनांक-

यह राजस्व मुकदमा वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु **श्री भीम पारीक वकील** वादी मिन जामिन मुदई व श्री महावीर बैरड़ वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की उपस्थिति में यह डिक्री दी जाती है कि **वादी गिरधारीलाल तहसील संगरिया के चक 12 पी.टी.पी. के खाता संख्या 127/64 जमाबंदी संवत 2072-75 प.नं. 119/136 मु.नं. 46 कि.नं. 14/0.253 है.नहरी, 15/1/0.228 है.नहरी, 15/2/0.025 है. खाला, 16/1/0.228 है.नहरी, 16/2/0.025 है.खाला, 17,23,24/ 0.253 है.प्र.नहरी, 25/1/0.228 है.नहरी, 25/2/0.025 है.खाला कुल 1.696 है.नहरी, 0.075 है. खाला कुल- 1.771 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार है।**

उक्तानुसार ही प्रतिवादी संख्या 1 सुरजाराम का नाम [illegible] किया जावे। आराजी बैंक के पक्ष में रेहन होने की स्थिति में रेहन से मुक्त होने पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज...X... निल..X..मुब्लिक..X..निल...X... बाबत..X.. निल...X..खर्चा [illegible] के मय शुद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X........ को अदा करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.05.2024.........को जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.05.31 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखंड अधिकारी संगरिया।